vinetur

भारत ने सीमा शुल्क में रोके गए स्कॉच व्हिस्की के कंटेनर जारी किए

कदम से व्यापार पर दबाव कम हुआ है, लेकिन थोक आयात पर 162.5% या 75% शुल्क लागू होने का विवाद अब भी अनसुलझा है

मंगलवार, 24 नवंबर 2026



भारत ने सोमवार, 23 नवंबर को कहा कि सीमा शुल्क में रोके गए स्कॉच व्हिस्की के कंटेनर जारी किए जाएंगे। इस बीच अधिकारी थोक खेपों पर शुल्क के प्रावधान को लेकर विवाद सुलझाने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ काम करेंगे।

विवाद इस बात पर है कि ब्रिटेन से भारत आने वाली थोक स्कॉच व्हिस्की पर 162.5% का प्रभावी शुल्क लगना चाहिए या दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार समझौते में स्कॉच व्हिस्की के लिए तय 75% शुल्क दर लागू होनी चाहिए। 87.5 प्रतिशत अंकों का यह अंतर आयातकों और निर्यातकों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इससे उत्पाद की अंतिम लागत में भारी बदलाव आ सकता है।

कंटेनरों को आगे बढ़ने की अनुमति देने का भारत सरकार का फैसला संकेत देता है कि नई दिल्ली इस बात पर चर्चा के

दौरान व्यापार प्रवाह पर दबाव कम करना चाहती है कि समझौते को कैसे लागू किया जाना चाहिए। कंटेनर जारी करने की घोषणा से सीमा पर पहले से मौजूद खेपों की तत्काल समस्या का समाधान हुआ, लेकिन इससे व्यापक शुल्क विवाद का अंतिम निपटारा नहीं हुआ।

इस मुद्दे के केंद्र में सीमा शुल्क वर्गीकरण है। यदि थोक स्कॉच का वर्गीकरण इस तरह किया जाता है कि वह अपेक्षित कम शुल्क वाले प्रावधान के दायरे से बाहर रहे, तो आयात की उस श्रेणी के लिए शुल्क रियायत का व्यावहारिक लाभ घट जाता है। इससे उन कारोबारी कंपनियों की चिंता बढ़ी है जिन्हें उम्मीद थी कि द्विपक्षीय समझौते से भारत में आने वाली स्कॉच के लिए बाधाएं कम होंगी।

आयातित व्हिस्की के लिए भारत एक अहम बाजार है और भारत-ब्रिटेन व्यापार से जुड़ी कंपनियां इस मामले पर करीबी नजर रख रही हैं। स्कॉटलैंड के उत्पादकों समेत ब्रिटिश निर्यातकों के लिए शुल्क दर बेहद अहम है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे अधिक संरक्षित स्पिरिट बाजारों में बना हुआ है। शुल्क के प्रावधान में मामूली बदलाव भी कीमतों, मांग और आपूर्ति संबंधी फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं।

23 नवंबर को भारत की घोषणा से संकेत मिला कि अधिकारी बातचीत जारी रहने के दौरान विवाद को व्यापार में बाधा बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, मामला अनसुलझा ही रहा। रॉयटर्स द्वारा उद्धृत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से ऐसे किसी निर्णायक सीमा शुल्क आदेश का संकेत नहीं मिला जिसने विवाद को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया हो। अधिकारियों ने जारी किए गए कंटेनरों की कुल संख्या या उनमें मौजूद माल का मूल्य भी नहीं बताया।

जानकारी के इस अभाव से आयातकों के लिए अहम सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। कंपनियों को न केवल पहले ही जारी की जा चुकी खेपों की स्थिति, बल्कि यह भी स्पष्टता चाहिए कि भविष्य में थोक स्कॉच की खेपों का भारतीय बंदरगाहों पर आकलन कैसे होगा। औपचारिक और एकसमान व्याख्या के बिना, माल पहुंचने पर लागू शुल्क को लेकर कंपनियों के सामने अनिश्चितता बनी रह सकती है।

यह घटनाक्रम व्यापार समझौतों की एक आम समस्या भी उजागर करता है : कागज पर दी गई शुल्क रियायतें हमेशा सीमा पर कम लागत में तब्दील नहीं होतीं, खासकर जब सीमा शुल्क नियमों और उत्पाद वर्गीकरण पर विवाद हो। इस मामले में 162.5% के प्रभावी शुल्क और 75% की शुल्क दर के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि इससे तय हो सकता है कि समझौता निर्यातकों को मिली बाजार पहुंच मुहैया कराता है या नहीं।

भारतीय और ब्रिटिश अधिकारी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं और समझौते की भाषा को सीमा शुल्क व्यवहार में उसके लागू होने के तरीके के अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक इस प्रक्रिया से स्पष्ट समाधान नहीं निकलता, कंटेनर जारी करना व्यापक अड़चन रोकने के लिए उठाया गया अस्थायी कदम दिखता है, न कि इस बात का प्रमाण कि शुल्क विवाद पूरी तरह सुलझ गया है।